भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2583
(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं

2583. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (वर्गों के निवासियों की) बस्तियों में पेयजल, शौचालय, सड़क, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने हेतु व्यापक आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में बुनियादी ढांचे की कमी के आधार पर सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों की सूची तैयार करने की वर्तमान स्थिति क्या है तथा यह सूची कब तक जारी होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन बस्तियों के लिए विशिष्ट विकास योजना, लक्षित वित्तीय प्रावधान और समयबद्ध कार्यान्वयन तंत्र स्थापित करने के लिए कोई रोडमैप तैयार किया है और यदि हाँ, तो इसके मुख्य घटक क्या हैं; और

(घ) क्या राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों से प्राप्त आंकड़ों के सत्यापन के लिए कोई स्वतंत्र सामाजिक संपरीक्षा या तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की उल्लेखनीय आबादी वाली बस्तियों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु, अनेक कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जैसे—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)। मंत्रालय प्रत्येक योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पात्र ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है, जिनमें अ.जा./अ.ज.जा जनसंख्या बहुल क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के ढांचे के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य का न्यूनतम 60 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा) परिवारों के लिए निर्धारित किया गया है, जो स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों की उपलब्धता के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त, यह निर्धारण केवल न्यूनतम सीमा को परिभाषित करता है जिसे प्राप्त किया जाना आवश्यक है, और यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चाहें तो संतृप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन श्रेणियों के अंतर्गत लक्ष्य में वृद्धि भी कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–IV (पीएमजीएसवाई–IV) के अभिसरण में कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत सड़क संपर्क घटक को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत एक अलग घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की बस्तियों को संपर्क प्रदान करने हेतु कुल 8,000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

बेहतर सड़क संपर्क से बाज़ारों तक पहुंच बढ़ी है, जिससे जनजातीय उत्पादों एवं वन उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके हैं; स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है, यात्रा समय में कमी आई है तथा संस्थागत प्रसवों में वृद्धि हुई है; शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों एवं छात्रावासों तक पहुंच बढ़ी है; तथा बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा और ई-शासन सहित सरकारी सेवाओं तक पहुंच बेहतर हुई है।

कई निष्पक्ष प्रभाव मूल्यांकनों से यह निष्कर्ष निकला है कि पीएमजीएसवाई के परिणामस्वरूप ग्रामीण आय एवं रोजगार के अवसरों में सुधार हुआ है, आवागमन में वृद्धि हुई है, जनजातीय समुदायों का मुख्यधारा से एकीकरण सुदृढ़ हुआ है तथा शिक्षा और बाज़ारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन पर विशेष बल देता है। निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का कार्यक्रमवार विश्लेषण किया जाता है तथा उसके अनुरूप विशेष रूप से तैयार की गई कार्रवाइयां की जाती हैं। ऐसे कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:-

i. कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही नहीं, बल्कि सामुदायिक सहभागिता (सामाजिक अंकेक्षण), संसद सदस्यों (दिशा समिति), केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं आदि के माध्यम से भी की जाती है।
ii. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन आवासों का यथासंभव 10% तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा 2% निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।
iii. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रयुक्त एरिया ऑफिसर ऐप का उपयोग पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भी किया जा रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी की प्रगति की निगरानी हेतु अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण दौरों की निगरानी तथा सुगम अभिलेखीकरण एवं विश्लेषण किया जा सके। इस ऐप का उपयोग पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित आवासों की गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए भी किया जा रहा है।

iv. शिकायत निवारण की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के दिशा-निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नियुक्त लोकपाल तथा राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकारी की सेवाओं का भी उपयोग शिकायतें प्राप्त करने, उनकी जांच करने तथा निर्णय पारित करने हेतु किया जा रहा है।

v. दिशा-निर्देशों में पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में जन जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण को भी अनिवार्य किया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें सार्वजनिक सतर्कता एवं सत्यापन सम्मिलित होता है तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम वर्ष में एक बार सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा सहित इसका आयोजन किया जाना आवश्यक है।

*****